न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 04 / 2021(2021 / 00051)
अनवान : –

विद्याधर पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी ढाणी बेरवाल तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. सरजीतसिंह पुत्र धर्मवीर जाति जाट निवासी ढाणी बेरवाल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल **प्रार्थी**
श्री सतवीर बैनीवाल **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 03-11-2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं 110 / 108 / 1 के मु0न0 19 के किला न0 23, 24, मु0 न0 40 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 16 इस प्रकार कुल किता 12 की 3.036 हैक्टेयर प्रार्थी विद्याधर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या के नाम चक 1 बीएचपी के खाता सं 110 / 108 / 2 के मु0न0 19 के किला न0 17, 18 इस प्रकार कुल किता 2 की कुल 0.506 हैक्टेयर सरजीतसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की चक 1 बीएचपी के खाता संख्या 110 / 108 / 2 के मु0 न0 19 के किला न0 17 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 12 फीट चौड़ाई में यानि 0.018 हैक्टेयर से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन करता आ रहा है। इसके अलावा आवागमन के लिये अन्य कोई स्वीकृत अथवा चालू रास्ता नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प स्थल भोजासर में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमान

खातेदारी कृषि भूमि में चक 1 बीएचपी के मुरब्बा न0 19 के किला न0 17 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है कि **अप्रार्थी संख्या 1 सरजीतसिंह की खातेदारी कृषि भूमि में चक 1 बीएचपी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 17 में पूर्वी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 12 फीट चौड़ा यानि 0.018 हैक्टेयर रास्ता दर्ज किया जाकर** उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03-11-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़